

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

# उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

### असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

### लखनऊ, बृहस्पतिवार, 10 जुलाई, 2025

आषाढ़ 19, 1947 शक सम्वत्

#### उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग–1

संख्या 90 / 79-वि-1—2025-2-क-7-2025 लखनऊ, 10 जुलाई, 2025

#### अधिसूचना विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2025) जिससे राज्य कर अनुभाग—2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2025)

[भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

#### अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है:

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

1—(क) इस अध्यादेश को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025 कहा जायेगा ।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(ख) इस अध्यादेश में अन्यथा उपबंधित के सिवाय,-

- (2) (क) धारा 2 (i) और 6, तारीख 1 अप्रैल, 2025 से प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी;
- (ख) धारा 2 (ii), 2 (iii) से 5 और धारा 7 से 14, उस तारीख से प्रवृत्त होंगी जिसे राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 2 का संशोधन

- 2—उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—
  - (i) खण्ड (61) में, तारीख 1 अप्रैल, 2025 से शब्द, कोष्ठक और अंक ''धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4)'' के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक ''इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4)'' रख दिये जाएंगे;
    - (ii) खण्ड (69) में,-
    - (क) उप-खण्ड (ग) में, शब्द ''नगरपालिका'' के पश्चात् शब्द ''निधि'' बढ़ा दिया जाएगा;
    - (ख) उप—खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात:—

#### स्पष्टीकरण-इस उप-खण्ड के प्रयोजनों के लिए-

- (क) "स्थानीय निधि" का तात्पर्य किसी स्थानीय स्वशासन के प्राधिकरण जो किसी पंचायत क्षेत्र के सम्बन्ध में नागरिक कार्यों के निर्वहन के लिए स्थापित है और जिसे विधि द्वारा किसी भी कर, शुल्क, पथकर, उपकर या फीस, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, लगाने, एकत्र करने और विनियोजन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं के नियंत्रण या प्रबन्ध के अधीन किसी निधि से हैं,
- (ख) "नगरपालिका निधि" का तात्पर्य 'किसी स्थानीय स्वशासन के प्राधिकरण जो किसी महानगर क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के सम्बन्ध में नागरिक कार्यों के निर्वहन के लिए स्थापित है और जिसे विधि द्वारा किसी भी कर, शुल्क, पथकर, उपकर या फीस, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएँ, लगाने, एकत्र करने और विनियोजन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, के नियंत्रण या प्रबन्ध के अधीन किसी निधि से हैं;'
  - (iii) खण्ड (116) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड बढा दिया जाएगा, अर्थात्:--
  - '(116क) "विशिष्ट पहचान चिह्नांकन" का तात्पर्य धारा 148क की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान चिह्नांकन से है और इसके अंतर्गत अंकीय स्टाम्प, अंकीय चिह्न या कोई अन्य समरूप चिह्नांकन सम्मिलित है, जो विशिष्ट, सुरक्षित और हटाने योग्य न हो;'
  - 3-मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (4) को निकाल दिया जाएगा।
  - 4-मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (4) को निकाल दिया जाएगा।
  - 5-मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के खण्ड (घ) में,-
  - (i) शब्दों "संयंत्र या मशीनरी" के स्थान पर शब्द "संयंत्र और मशीनरी" रख दिए जाएंगे और तारीख 1 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;
  - (ii) स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में क्रमांकित किया जाएगा और इस प्रकार क्रमांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात:—

'स्पष्टीकरण 2—खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, "संयंत्र या मशीनरी" के किसी संदर्भ का अर्थ "संयंत्र और मशीनरी" के संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा और हमेशा समझा जाएगा;'

धारा 12 का संशोधन धारा 13 का संशोधन धारा 17 का संशोधन 6-मूल अधिनियम की धारा 20 में, तारीख 1 अप्रैल, 2025 से,-

धारा 20 का संशोधन

- (i) उपधारा (1) में, शब्द, कोष्ठक और अंक ''धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4)'' के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक ''इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4)'' रख दिये जाएंगे;
- (ii) उपधारा (2) में, शब्द, कोष्ठक और अंक ''धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4)'' के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक ''इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4)'' रख दिये जाएंगे।

7— मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाएगा, अर्थात:—

धारा ३४ का संशोधन

"परन्तु यह कि पूर्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि—

- (i) ऐसे जमा पत्र के कारण माना जाने वाला इनपुट कर प्रत्यय, यदि प्राप्त किया गया है, प्राप्तकर्ता द्वारा वापस नहीं लिया गया है, जहाँ ऐसा प्राप्तकर्ता रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है: या
- (ii) अन्य मामलों में, ऐसी पूर्ति पर कर का प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति पर डाल दिया गया है।"

8-मूल अधिनियम की धारा 38 में,-

धारा 38 का

- (i) उपधारा (1) में, शब्द ''स्वतःजनित विवरण'' के स्थान पर, शब्द ''विवरण'' रख संशोधन दिया जाएगा,
  - (ii) उपधारा (2) में,-
- (क) शब्द ''स्वतः जनित विवरण'' के स्थान पर, शब्द ''निर्दिष्ट विवरण'' रख दिये जाएंगे;
  - (ख) खंड (क) में, शब्द ''और'' निकाल दिया जायेगा;
  - (ग) खंड (ख) में, शब्द ''के कारण'' के पश्चात, शब्द ''सिहत'' बढ़ा दिया जाएगा;
  - (घ) खंड (ख) के पश्चात, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात:-
  - "(ग) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किए जाएं।"

9—मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) में, शब्दों "और ऐसे समय के भीतर" के स्थान पर, शब्द "ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए" रख दिये जाएंगे।

धारा ३९ का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाएगा, अर्थात:—

धारा 107 का संशोधन

"परन्तु यह कि किसी कर की मांग किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश की स्थिति में, ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील दाखिल नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।"

11— मूल अधिनियम की धारा 112 की, उपधारा (8) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:—

धारा 112 का संशोधन

"परन्तु यह कि किसी कर की मांग किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश की दशा में, ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील दाखिल नहीं की जाएगी, जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) के परन्तुक के अधीन देय राशि के अतिरिक्त उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।"

12—मूल अधिनियम की धारा 122क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात:—

नई धारा 122ख का जोड़ा जाना

"122ख-इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 148क की उपधारा (1)

के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उक्त धारा के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह अध्याय 15 या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी शास्ति के अतिरिक्त, एक लाख रुपए या ऐसे माल पर देय कर के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के लिए दायी होगा।"

नई धारा 148क का बढाया जाना 13—मूल अधिनियम की धारा 148 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात:—

"148क—(1) सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट कर सकती है,—

- (क) माल;
- (ख) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो ऐसे माल पर कब्जा रखते हैं या उससे व्यवहार करते हैं, जिन पर इस धारा के उपबंध लागू होंगे।
- (2) सरकार, उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में,-
- (क) विशिष्ट पहचान चिह्न लगाने और उसमें निहित सूचना के इलेक्ट्रॉनिक भंडारण और पहुंच के लिए, ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जैसा कि विहित किया जाय, एक प्रणाली प्रदान कर सकती है; और
- (ख) ऐसे माल के लिए विशिष्ट पहचान चिह्न विहित कर सकती है, जिसमें उसमें दर्ज की जाने वाली सूचना भी सम्मिलित है।
- (3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति,-
- (क) उक्त माल या उसके पैकेजों पर, ऐसी सूचना और ऐसी रीति से एक विशिष्ट पहचान चिह्न लगाएंगे;
- (ख) ऐसी सूचना और ब्यौरे ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करेंगे और ऐसे अभिलेख या दस्तावेज, ऐसे प्ररूप में और ऐसे रीति से बनाए रखेंगे;
- (ग) ऐसे माल के विनिर्माण के कारबार के स्थान पर स्थापित मशीनरी का ब्यौरा, जिसमें पहचान, क्षमता, प्रचालन की अवधि और ऐसे अन्य ब्यौरे या सूचना सिम्मिलित हैं, ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप और तरीके से प्रस्तुत करेंगे;
- (घ) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रणाली के संबंध में ऐसी राशि का भुगतान करेंगे, जैसा कि विहित किया जा सकता है।" 14—मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में,—
- (i) पैरा 8 में, खंड (क) के पश्चात, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा और तारीख 1 जुलाई, 2017 से बढ़ाया गया समझा जाएगा, अर्थात:—

"(कक) किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र या मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र में भांडागार में रखे गए माल की निर्यात या घरेलू टैरिफ क्षेत्र के लिए मंजूरी से पहले किसी व्यक्ति को पूर्ति;";

- (ii) स्पष्टीकरण 2 में, शब्द और अंक "पैरा 8 के" के पश्चात, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खंड (क)" बढ़ा दिए जाएंगे और 1 जुलाई, 2017 से बढ़ाये गए समझे जाएंगे;
- (iii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा और 1 जुलाई, 2017 से बढ़ाया गया समझा जाएगा, अर्थात:—

**"स्पष्टीकरण 3**—पैरा 8 के खंड (कक) के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्तियों "विशेष आर्थिक क्षेत्र", "मुक्त व्यापार मंडारण क्षेत्र" और "घरेलू टैरिफ क्षेत्र" के क्रमशः वहीं अर्थ होंगे जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2 में उनके लिए समनुदेशित हैं।"

15—ऐसे समस्त कर की वापसी नहीं की जाएगी जो संगृहीत किया गया है, किन्तु जो संगृहीत नहीं किया गया होता, यदि इस अध्यादेश की धारा 14 सभी तात्विक समयों पर लागू होती।

आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

अनुसूची 3 का संशोधन

#### $No.\ 90(2)/LXXIX-V-1-2025-2-ka-7-2025$

Dated Lucknow, July 10, 2025

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Maal Aur Sewa Kar (Sanshodhan) Adhyadesh, 2025 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 7 of 2025) promulgated by the Governor. Rajya Kar Anubhag-2 is administratively concerned with the said Ordinance.

# THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ORDINANCE, 2025

(U.P. ORDINANCE NO. 7 OF 2025)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-sixth Year of the Republic of India]

#### AN

#### **ORDINANCE**

further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

WHEREAS the state Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

Now, Therefore, in exercise of powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. (a) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2025;

Short title and commencement

- (b) Save as otherwise provided in this Ordinance,-
- (2) (a)sections 2(i) and 6 shall be deemed to have come into force on the 1<sup>st</sup> day of April, 2025;
- (b) sections 2(ii),2(iii) to 5 and sections 7 to 14 shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official *Gazette*, appoint.
- 2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 2,–

Amendment of section 2

- (i) in clause (61), *after* the word and figure "section 9", the words, brackets and figures "of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of Section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017" shall be *inserted* with effect from the 1<sup>st</sup> day of April, 2025;
  - (ii)in clause (69),-
- (a) in sub-clause (c), *after* the words "management of a municipal", the word "fund" shall be *inserted*;
- (b) after sub-clause (c), the following Explanation shall be inserted, namely:—
- 'Explanation-For the purposes of this sub-clause-
- (a)"local fund" means any fund under the control or management of an authority of a local self-Government established for discharging civic functions in relation to a Panchayat area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called;
- (b)"municipal fund" means any fund under the control or management of an authority of a local self-Government established for discharging civic functions in relation to a Metropolitan area or Municipal area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called.';
  - (iii) after clause (116), the following clause shall be inserted, namely:-
- '(116A) "unique identification marking" means the unique identification marking referred to in clause (b) of sub-section (2) of Section 148A and includes a digital stamp, digital mark or any other similar marking, which is unique, secure and non-removable;';

Amendment of section 12 Amendment of section 13 Amendment of section 17

- 3. In section 12 of the principal Act, sub-section (4) shall be *omitted*.
- 4. In section 13 of the principal Act, sub-section (4) shall be omitted.
- 5. In section 17 of the principal Act, in sub-section (5), in clause (d),-
- (i) *for* the words "plant or machinery", the words "plant and machinery" shall be *substituted* and shall be deemed to have been *substituted* with effect from the 1<sup>st</sup> day of July, 2017;
- (ii) the Explanation shall be numbered as Explanation 1 thereof, and after Explanation 1 as so numbered, the following Explanation shall be *inserted*, namely:—
- **'Explanation** 2–For the purposes of clause (d), it is hereby clarified that notwithstanding anything to the contrary contained in any judgement, decree or order of any court, tribunal, or other authority, any reference to "plant or machinery" shall be construed and shall always be deemed to have been construed as a reference to "plant and machinery".'.

Amendment of section 20

- 6. In section 20 of the principal Act, with effect from the  $1^{\rm st}$  day of April, 2025,–
  - (i) in sub-section (1), *after* the word and figure "section 9", the words, brackets and figures "of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of Section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017" shall be *inserted*:
  - (ii) in sub-section (2), *after* the word and figure "Section 9", the words, brackets and figures "of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of Section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017," shall be *inserted*.

Amendment of section 34

Amendment of section 38

- 7. In section 34 of the principal Act, in sub-section (2), *for* the proviso, the following proviso shall be *substituted*, namely:—
- "Provided that no reduction in output tax liability of the supplier shall be permitted, if the—  $\,$ 
  - (i) input tax credit as is attributable to such a credit note, if availed, has not been reversed by the recipient, where such recipient is a registered person; or
  - (ii) incidence of tax on such supply has been passed on to any other person, in other cases.".
  - 8. In section 38 of the principal Act,-
  - (i) in sub-section (1), *for* the words "an auto-generated statement", the words "a statement" shall be *substituted*;
    - (ii) in sub-section (2),-
  - (a) *for* the words "auto-generated statement under", the words "statement referred in" shall be *substituted*;
    - (b)in clause (a), the word "and" shall be *omitted*;
  - (c) in clause (b), after the words "by the recipient,", the word "including" shall be inserted;
    - (d) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—
      - "(c) such other details as may be prescribed.".

Amendment of section 39

9. In section 39 of the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "and within such time", the words "within such time, and subject to such conditions and restrictions" shall be *substituted*.

Amendment of section 107

10. In section 107 of the principal Act, in sub-section (6), *for* the proviso, the following proviso shall be *substituted*, namely:—

"Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent of the said penalty has been paid by the appellant.".

11. In section 112 of the principal Act, in sub-section (8), the following proviso shall be inserted, namely:-

Amendment of Section 112

"Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent of the said penalty, in addition to the amount payable under the proviso to sub-section (6) of Section 107 has been paid by the appellant.".

12. After Section 122A of the principal Act, the following section shall be Insertion of new inserted, namely:-

Section 122B

- "122B. Notwithstanding anything contained in this Act, where any person referred to in clause (b) of sub-section (1) of Section 148A, Acts in contravention of the provisions of the said Section, he shall, in addition to any penalty under Chapter-XV or the provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees or ten per cent of the tax payable on such goods, whichever is higher.".
- 13. After Section 148 of the principal Act, the following Section shall be Insertion of new inserted, namely:-

Section 148A

- "148A. (1) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify,-
  - (a) the goods;-
  - (b) persons or class of persons who are in possession or deal with such goods, to which the provisions of this section shall apply.
- (2) The Government may, in respect of the goods referred to in clause (a) of sub-section (1),
  - system for enabling affixation of unique (a) provide a identification marking and for electronic storage and access of information contained therein, through such persons, as may be prescribed; and
  - (b) prescribe the unique identification marking for such goods, including the information to be recorded therein.
  - (3) The persons referred to in sub-section (1), shall,—
  - (a) affix on the said goods or packages thereof, a unique identification marking, containing such information and in such manner;
  - (b) furnish such information and details within such time and maintain such records or documents, in such form and manner;
  - (c) furnish details of the machinery installed in the place of business of manufacture of such goods, including the identification, capacity, duration of operation and such other details or information, within such time and in such form and manner:
  - (d) pay such amount in relation to the system referred to in sub-section (2), as may be prescribed.".
  - 14. In Schedule III of the principal Act,-

Amendment of Schedule III

- (i) in paragraph 8, after clause (a), the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:-
- "(aa) Supply of goods warehoused in a Special Economic Zone or in a Free Trade Warehousing Zone to any person before clearance for exports or to the Domestic Tariff Area;";
- (ii) in Explanation 2, after the words "For the purposes of", the words, brackets and letter "clause (a) of" shall be inserted and shall be deemed to have been *inserted* with effect from the 1<sup>st</sup> day of July, 2017;
- (iii) after Explanation 2, the following Explanation shall be inserted and shall be deemed to have been *inserted* with effect from the 1<sup>st</sup> day of July, 2017, namely:-

**"Explanation 3**—For the purposes of clause (aa) of paragraph 8, the expressions "Special Economic Zone", "Free Trade Warehousing Zone" and "Domestic Tariff Area" shall have the same meanings respectively as assigned to them in Section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005."

15. No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had Section 14 of this Ordinance been in force at all material times.

ANANDIBEN PATEL
Governor,
Uttar Pradesh.

By order, ATUL SRIVASTAVA, Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० ९६ राजपत्र—2025—(265)—599 प्रतियां—(डी०टी०पी० / ऑफसेट)। पी०एस०यू०पी०—ए०पी० ५ सा० विधायी—2025—(266)—300 प्रतियां—(डी०टी०पी० / ऑफसेट)।